संख्या-06/2020/ 60 /क.नि.प्र./26-3-2020-18(65)98

प्रेषक,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 08 जनवरी,2020
समाज कल्याण विभाग

विषय:- सचिवालय स्तर पर समाज कल्याण विभाग के अधीन गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति वर्ष 2019-20

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-21/2019/384/क.नि.प्र./26-3-2019-18(65)/2018 दिनांक 09 अप्रैल,2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर समाज कल्याण विभाग के अधीन गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के कर्मचारियों के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-080-समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के लेखाशीर्षक-"2225-01-793-04-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान की मानक मद-55-मकान किराया भत्ता में रू0 20,000.00 (रू. बीस हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-080-समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-793-अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

केन्द्रीय सहायता-04-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान" के नामें डाला जायेगा तथा संलग्न प्रपत्र बी.एम.9 पार्ट-1 के स्तम्भ-1 में अंकित लेखाशीर्षक की मानक मद-45-अवकाश यात्रा व्यय में प्राविधानित धनराशि के अंतर्गत होने वाली बचतों से पुनर्विनियोजन कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-52 /दस-2020 दिनांक 27 जनवरी,2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

<u>पृ.संख्या-06/2020/60(1)/क.नि.प्र./26-3-2020 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- आहरण एवं वितरण अधिकारी,समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।
4-अनुभाग अधिकारी, लेखा,समाज कल्याण विभाग, उ.प्र.शासन।
5-वित्त (व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-4, उ.प्र.शासन।
6- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
6-सांख्यकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन,लखनऊ।
7-एन.आई.सी. की प्रति।
8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

प्रपत्र–बी0एम0–9(पार्ट–1)
पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भ– बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) वित्तीय वर्ष 2019–20 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् अवशेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–793–अनुसूचित जातियों की संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता–04–सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान–45–अवकाश यात्रा व्यय"	1.00	1.00	0.20	0.20	0.80
योग	1.00	1.00	0.20	0.20	0.80

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+10)
7	8	9	10	11	12
"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–793–अनुसूचित जातियों की संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता–04–सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान–55–मकान किराया भत्ता"	2.15	2.35	0.20	0.20	2.35
योग	2.15	2.35	0.20	0.20	2.35

1.स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक की मानक मद में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।

2.स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय बचनबद्ध व्यय है।

3.प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोजन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(डा. रमेश चन्द्र तिवारी)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,
महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या–आर0ई0– 319/दस–2019
दिनांकः 27 जनवरी,2020

(केशव प्रसाद)
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

संख्या– 60 (1)/क0नि0प्र0/26–3–2020 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0प्रयागराज।
2– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– आहरण एवं वितरण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– अनुभाग अधिकारी (लेखा), समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– वित्त(वित्त नियंन्त्रण) अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन।
7– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
8– सांख्यकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन,लखनऊ।
9– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर।

आज्ञा से,

(डा. रमेश चन्द्र तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।